न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ

उपस्थितः– अमित कुमार दीक्षित

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1340 / 2025

घोसवरी थाना कांड संख्या 145 / 2024

23.03.2026 आवेदकगण **1. अभय कुमार, 2. आरती कुमारी, 3. कस्तूरी कुमारी एवं 4. सुमित्रा देवी** की ओर से गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दिनांक 22.11.2026 को यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन पर सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण के द्वारा कोई भी जमानत आवेदन इस न्यायालय में या किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। सूचक के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। प्राथमिकी में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार की घटना नहीं हुई है। आवेदकगण पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। कोई मारपीट नहीं की गई है एवं सोने का चैन छिनने की बात गलत है। कथित घटना से आवेदकगण का कोई संबंध नहीं है। अतः आवेदकगण पर धारा 307, 379 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला नहीं बनता है, अन्य सभी धाराएं जमानती प्रकृति की हैं। आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण न्यायालय के किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है, इसलिए इन्हें किसी भी शर्त का जमानत दिया जाय, जमानतदार देने को तैयार हैं।

अभियोजन ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

उपर्युक्त अग्रिम जमानत पर उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे मैं पाता हूं कि इस वाद में परिवाद वाद के आधार पर घोसवरी थाना कांड संख्या 145 / 2024, दिनांक 24.07.2024 को धारा 323, 341, 307, 379, 504, 506/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज किया गया है तथा परिवादिनी के द्वारा प्राथमिकी में यह अभियोग लगाते हुए कथन किया गया है कि परिवादिनी एक सीधी–सादी लड़की है जो बी.ए. पार्ट वन की छात्रा है। उसकी पढ़ाई कोलेकर अभियुक्तगण उससे इर्ष्या करते हैं तथा बराबर उसपर ताना कसते रहते हैं। दिनांक 04.05.2024 को संध्या 6 बजे परिवादिनी सरकारी चापाकल पर पानी भरने गई थी, उस समय भी अभियुक्त सं0 2 परिवादिनी को परोक्ष रूप से गाली और ताना दे रही थी, परंतु परिवादिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी भरने के लिए बाल्टी रखकर चापाकल चलाने लगी। उसी समय अभियुक्त सं0 2 भी बाल्टी लेकर आ गई और बोली कि मैं पहले पानी भरूंगी। परिवादिनी ने कहा कि मेरी बाल्टी हटा दो और पानी भर लो। मैं चापाकल चला देती हूं। इसी पर गुस्से में उसने परिवादिनी को गाली–गलौज करना शुरू कर दिया। परिवादिनी ने मना किया तो वहीं बैठा अभियुक्त सं0 1 लोहे का रड लेकर आया और परिवादीन को अंधाधुध रड से मारने लगा जिससे उसे सिर, हाथ, पैर आदि हर जगह बुरी तरह चोट लगी। इसी बीच आरती कुमारी, कस्तूरी कुमारी तथा सुमित्रा देवी ने परिवादिनी को बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लात मुक्के से बुरी तरह मारने लगी। परिवादिनी बदहोश हो गई तो आरती कुमारी ने उसके गले से सोने का एक भर का चैन, कीमत लगभग 70,000 / – रुपये छीन लिया। हल्ला सुनकर जब गहाहान दौड़ कर वहां पहुंचे तो सभी वहां से भाग गए। तब गवाह रबिता देवी के साथ घोसवरी थाना की पुलिस परिवादिनी को घोसवरी पी0एच0सी0 ले गई, परंतु हालत खराब देखकर उसे अनुमंडल अस्पताल बाढ़ भेज दिया गया। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल से भी उसकी हालत खराब देखकर पी0एम0सी0एच0, पटना भेजा गया जहां उसका सी0टी0 स्कैन और इलाज हुआ। उसके बाद परिवादिनी को दिनांक 06.05.2024 को पी0एम0सी0एच0 पटना से मुक्त किया गया और परिवादिनी घोसवरी थाने में आवेदन देने गई, परंतु उसे दिनांक 10.05.2024 को आने को कहा गया। जब वह दिनांक 10.05.2024 को घोसवरी थाना आवेदन देने पहुंची तो कहा गया कि बहुत

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ

उपस्थितः– अमित कुमार दीक्षित

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1340 / 2025

घोसवरी थाना कांड संख्या 145 / 2024

लगातार

23.03.2026

समय हो गया है। इसलिए न्यायालय के माध्यम से मुकदमा करो। तब परिवादिनी न्यायालय में मुकदमा दायर कर रही है। अभियुक्तगणों ने सोची समझी साजिश के तहत एकमत होकर जान मारने की नियत से हमला किया और उसे मृत समझकर ही छोड़ कर वहां से हटे थे।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि इस मामले में कांड दैनिकी अभिलेख के साथ संलग्न है। कांड दैनिकी के कंडिका 5 में वादिनी का पुनः बयान है, कंडिका 6 में घटनास्थल है, कंडिका 14 एवं 15 के साक्षियों के द्वारा घटना के बारे में बताया गया है, कंडिका 124 में जख्म प्रतिवेदन है जिसमें कारित जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन करते हैं कि **आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है** तथा कांड दैनिकी में कारित जख्म साधारण प्रकृति का पाया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं कांड दैनिकी के अनुसार कारित जख्म साधारण प्रकृति के होने के एवं आवेदकगण के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास के न होने के तथ्यों पर विचार करने के उपरांत आवेदकगण को सशर्त अग्रिम जमानत पर उपनिहित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के तिथि से 3 सप्ताह के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होकर लाने पर मो0 10,000 रुपये के दो प्रतिभू द्वारा बंधपत्र दाखिल करने निम्न शर्तों के आलोक में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है, 1. आवेदकगण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह अनुसंधान / विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यदि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है तो प्रत्येक एवं सभी तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, 2. आवेदकगण धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की शर्तों का अनुपालन करेंगे, उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय आवेदकगण के बंधपत्र को निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे। इस आदेश में की गई टिप्पणी जमानत आवेदन निष्पादन होने तक सीमित है, इस कांड में अन्वेषण, जांच या विचारण के स्तर पर गुण–दोष के आधार पर कोई सुझाव न समझा जाए।

लेखापित एवं शुद्धित

Sd/-

(अमित कुमार दीक्षित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम, बाढ़